भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4030

(जिसका उत्तर सोमवार दिनांक 18 अगस्त, 2025/27 श्रावण, 1947(शक) को दिया जाना है)

कर्नाटक की कर अंतरण संबंधी समस्याएं

4030. श्री के. सुधाकरनः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने कर्नाटक के हिस्से के अंतरण में कमी के कारण उसके पूंजीगत व्यय के संबंध में कोई राजकोषीय प्रभाव आकलन किया है;

(ख) क्या सरकार का 16वें वित्त आयोग के विचारार्थ विषयों में कर्नाटक के सकल घरेलू उत्पाद के हिस्से को आय के अंतर से हटाकर उसके हिस्से को जीडीपी में शामिल करने का विचार है; और

(ग) निधि के अंतरण में राज्य के हिस्से का निर्धारण करते समय केन्द्रीय पूल में राज्य के योगदान हेतु किन तंत्रों को ध्यान में रखा जाता है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) कर्नाटक राज्य को अंतरित साझा करने योग्य करों और शुल्कों की कुल राशि 14$^{वें}$ वित्त आयोग की कार्य अवधि (वित्त वर्ष 2015-16 से वित्त वर्ष 2019-20) में ₹1.51 लाख करोड़ से बढ़कर 15$^{वें}$ वित्त आयोग की कार्य अवधि (वित्त वर्ष 2021-22 से बजट अनुमान 2025-26) में ₹2.08 लाख करोड़ हो गई है। राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय के बीच केन्द्रीय करों में हिस्सेदारी सहित संसाधनों का पारस्परिक आबंटन संबंधी निर्णय राज्य सरकार करती है।

(ख) और (ग) वित्त आयोग द्वारा अपनी कार्य अवधि के लिए राज्यों के बीच करों की निवल आय के पारस्परिक वितरण संबंधी कार्यप्रणाली और मानदंड का निर्धारण किया जाता है।

*****